

झाँसी

सर्किट हाऊस के सामने,
कमिश्नरी कैम्पस
झाँसी, उत्तर प्रदेश- 284001
दूरभाष संख्या - 0510.2441787
फैक्स - 0510.2441787

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

संख्या- 701/जे0डी0ए0-भू-उपयोग-(2018-19)

दिनांक 19 जुलाई 2018

विषय- भू-उपयोग के संबंध में जानकारी।

श्रीमती विद्यावती एजूकेशनल सोसायटी
जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्रीमती विद्या निधि मिश्रा
निवासी- मेडीकल कॉलेज के सामने, तहसील व जिला
झाँसी उ0प्र0।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने आर.ए.सी नं०-602/608 मौजा-भोगेशपुरिया के महायोजना 2021 के द्वारा चाही गयी सूचना सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड झाँसी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्र संख्या-574/झाँसी महायो./भू-उप.आ./2018-19 दिनांक 18.07.2018 द्वारा प्राप्त आख्या मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित हैं।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

मानस मिश्रा
सचिव

श्रीमती विद्यावती एजूकेशनल सोसायटी
झाँसी (उ0प्र0)

19.07.18
सहायक नगर नियोजक
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

कार्यालय सहयुक्त नियोजक,
सम्भागीय नियोजन खण्ड, झाँसी,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०,
803/4-ए निकट पी.एण्ड टी. कालोनी, ग्वालियर रोड, झाँसी।

पत्रांक 574 / झाँसी महायो०/भू-उप०आ०/2018-19

दिनांक : 18-07-2018

सेवा में,

सचिव,
झाँसी विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

विषय : भू-उपयोग की जानकारी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-679/जे०डी०ए०/भू० उप०-(2018-19) दि० 12-07-18 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में श्रीमती विद्यावती एजूकेशनल सोसायटी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्रीमती विद्या निधि मिश्रा, निवासी-मेडीकल कालेज के सामने, तहसील व जिला झाँसी के पत्र में दिए गये मौजा-गोरामछिया के आराजी नम्बर-602 व 606 के सम्बन्ध में झाँसी महायोजना के अनुसार भू-उपयोग की जानकारी चाही गयी है।

पत्र के साथ संलग्न परगनाधिकारी (सदर), झाँसी के पत्र में दिये गये मौजा-गोरामछिया के आराजी नम्बर-602 व 606 का शासन द्वारा स्वीकृत झाँसी महायोजना-2021 में भू-उपयोग निम्न प्रकार है:-

आराजी नम्बर	झाँसी महायोजना-2021 में भू-उपयोग
602	"संस्थागत संस्थायें व कृषि हरित पट्टी"।
606	"कृषि हरित पट्टी"।

उक्त भू-उपयोग आख्या केवल सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि भविष्य में जोनल प्लान/ले-आउट प्लान बनाये जाने की दशा में सम्बन्धित स्थल का भू-उपयोग प्राधिकरण द्वारा तैयार/अनुमोदित जोनल प्लान/ले-आउट प्लान के अनुसार ही होगा। परगनाधिकारी का पत्र मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संलग्नक : उपरोक्तानुसार।



मानस मिश्र
सचिव

श्रीमती विद्यावती एजूकेशनल सोसायटी
झाँसी (उ०प्र०)

भवदीय



(एन.के. पुष्कर्णा)
सहयुक्त नियोजक